

समझौता जापन

वर्ष 2014-15

के लिए

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

और

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

के बीच

विषय सूची

- भाग - I विज्ञान/ मिशन और उद्देश्य
- भाग - II कार्य निष्पादन मूल्यांकन पैरामीटर एवं लक्ष्य
- भाग - III स्व घोषणा/ प्रमाणीकरण
- भाग - IV सरकार की वचनबद्धता/ सहायता
- भाग - V समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग हेतु
एक्शन प्लान
- अपेंडिक्स एमओएसपीआई द्वारा निरीक्षित, 10 परियोजनाओं की
सूची जिनका कि 2014-15 में पूरा किया जाना
अपेक्षित है

समझौता ज्ञापन 2014-15

भाग - I

विज्ञान, मिशन और उद्देश्य

विज्ञान:

“विश्वसनीयता, सुरक्षा तथा इकोनोमी को सुनिश्चित करते हुये उभरते पावर बाजारों में संप्रभावी एवं अग्रणी विश्व स्तरीय, एकीकृत, वैश्विक पारेषण कंपनी बन जाना।”

मिशन:

“विश्व स्तर की क्षमताओं के साथ उभरते पावर के बाजारों में सम्प्रभावी अग्रणी एक वैश्विक पारेषण कंपनी बनने के लिए:

- विश्व स्तरीय उद्योग तथा अपने आप के लिये पूंजी परियोजना प्रबन्धन एवं प्रचालन में श्रेष्ठ मानकों की स्थापना करना;
- उभरती एवं बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में भारत में सभी हितधारकों के लिये लगातार अधिकतम मूल्यों को उत्पन्न कर लाभ क्षमताएं अर्जित करना;
- पेशेवरों की अगली पीढ़ी को प्रेरित, पोषित और उन्हें सशक्त बनाना;
- इन्नोवेशन तथा स्टेट-ऑफ-द-आर्ट प्रौद्योगिकी से निरंतर सुधार हासिल करना;
- स्वास्थ्य, सुरक्षा, बचाव तथा वातावरण में लागू उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्ध रहना”

उद्देश्य:

निगम ने अपने मिशन और “केन्द्रीय पारेषण संस्थान” के स्टेटस अनुसार निम्न उद्देश्य निर्धारित किए हैं:

- अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली द्वारा विद्युत ऊर्जा का पारेषण ।
 - अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना व समन्वय सम्बन्धी समस्त कार्यों का निष्पादन, निम्न सम्बंध में :
1. राज्यीय पारेषण संस्थान,
 2. केन्द्र सरकार,
 3. राज्य सरकारें,
 4. जनरेटिंग कंपनियां,
 5. क्षेत्रीय ऊर्जा समितियां,
 6. प्राधिकरण,

7. लाइसेन्सीज,
8. केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बंध में नामित कोई अन्य व्यक्ति,
 - जनरेटिंग स्टेशनों से लोड केन्द्रों के लिए बिजली की निर्बाध प्रवाह के लिए अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों के एक कुशल, समन्वित और आर्थिक प्रणाली के विकास को सुनिश्चित करना ।
 - पारेषण प्रणालियों का दक्ष प्रचालन एवं अनुरक्षण ।
 - किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवात, बाढ़ इत्यादि आने पर आपातकालीन रेस्टोरेशन प्रणाली (ईआरएस) द्वारा जितनी जल्दी हो सके बिजली को पुनः चालू करना ।
 - संगठन द्वारा विकसित की गई स्वयं की विशेषज्ञता के आधार पर पारेषण क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करना ।
 - सुदूर टेलीकम्यूनिकेशन व्यापार उद्यमों में भाग लेना ।
 - लोगों की, जो कि इन गतिविधियों द्वारा प्रभावित एवं लाभित होते हैं की, स्वच्छ, सुरक्षित, स्वस्थ वातावरण की बढ़ती/ इच्छित उम्मीदों के अनुरूप, विश्वसनीयता, सुरक्षा एवं मितव्ययिता के सिद्धान्तों को सुनिश्चित करना ।

समझौता ज़ापन 2014-15

भाग - II

कार्य निष्पादन मूल्यांकन पैरामीटर और लक्ष्य

कार्य निष्पादन मूल्यांकन

वर्ष 2014-15 के लिए निगम के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन हेतु मापदंड व विभिन्न पैरामीटरों के लिए भार नीचे तालिका में दर्शाये गये हैं :

पीएसई का नाम - पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

सकल ऑपरेटिंग मार्जिन की परिभाषा

सकल ऑपरेटिंग मार्जिन की गणना	
ऑपरेशंस के द्वारा रेवेन्यू (शेड्यूल 2.25 के अनुसार)	
से कम किया,	ट्रेड में स्टॉक के खरीद
से कम किया,	कार्मिक हित में खर्च (शेड्यूल 2.27 के अनुसार)
से कम किया,	पारेषण एवं अन्य खर्च (शेड्यूल 2.30 के अनुसार) विविध एवं नॉन-ऑपरेटिंग खर्च को छोड़कर
=	सकल ऑपरेटिंग मार्जिन


नोट: उपरोक्त शेड्यूल वार्षिक रिपोर्ट 2012-13 के सन्दर्भ के अनुसार है ।

समझौता ज़ापन 2014 - 15

भाग - III

स्व घोषणा/प्रमाणीकरण

इसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय मानकों से संबंधित लक्ष्यों एवं वास्तविक उपलब्धियों को वर्ष 2014- 15 के लिए समझौता ज़ापन के दिशा निर्देशों में निर्धारित परिभाषा तथा मानदंडों के अनुसार निर्धारित किया गया है। किसी भी मामले में मूल्यांकन के समय यदि विचलन मिल जाता है तो लोक उद्यम विभाग, परीक्षित लेखा के अनुसार, समझौते के दिशा-निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र है। पावरग्रिड को इस संबंध में दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।




अधिकृत हस्ताक्षरी

समझौता ज्ञापन 2014-15

भाग-V

समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन एवं मानीटरिंग हेतु एक्शन प्लान

- (क) पावरग्रिड प्रत्येक तिमाही समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर विभिन्न कार्य-निष्पादन क्षेत्रों के संबंध में तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का विश्वास दिलाता है ।
- (ख) पावरग्रिड प्रबंधन समझौता ज्ञापन के लक्ष्य के संबंध में कार्यनिष्पादन की तिमाही आंतरिक मानीटरिंग किया जाना भी सुनिश्चित करेगा ।



(आर. एन. नायक)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
पावरग्रिड



(प्रदीप कुमार सिन्हा)

सचिव
विद्युत मंत्रालय

समझौता जापन 2014 - 15

भाग - IV

सरकार की वचनबद्धता/ सहायता

- 1 विद्युत मंत्रालय, लाभार्थियों से बकाया राशि की वसूली में पावरग्रिड की सहायता करेगा। वर्तमान में बकाया के साथ प्रमुख संस्थानों बिहार, ओडिशा, झारखंड, बीआरपीएल, बीवाईपीएल, जे&के, हिमाचल प्रदेश और मेघालय हैं। हालांकि, संस्थानों के बकाया देय राशि बदलते रहते हैं और तदनुसार विद्युत मंत्रालय से सहायता की मांग की जाएगी।
- 2 विद्युत मंत्रालय, परियोजनाओं के समयानुसार क्रियान्वयन में होने वाले विलम्ब से बचने के लिए त्वरित स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से चर्चा करेगा।
- 3 विद्युत मंत्रालय, ट्रांसमिशन परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ पावरग्रिड की मार्गाधिकार के मुद्दों के समय पर समाधान के लिए आवश्यक सहायता करेगा।
- 4 पावरग्रिड की पारिषण परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के द्वारा प्राप्त की गई देशीय आपूर्ति के लिये भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत 'मान्य निर्यात' लाभ प्राप्त करने में विद्युत मंत्रालय पावरग्रिड को आवश्यक सर्टिफिकेशन इश्यू करने की मदद करेगा।
- 5 आरजीजीवीवाई के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्युत मंत्रालय सहायता करेगा: (अ) आरईसी/ विद्युत मंत्रालय के द्वारा समय पर पूंजी की उपलब्धता एवं मंजूरी (ब) वन संबंधी स्वीकृति, बीपीएल लिस्ट तथा उपकेन्द्रों के लिए भूमि की उपलब्धता के लिए राज्य सरकारों द्वारा सहायता (स) संबंधित राज्य यूटिलिटी द्वारा टेकिंग ओवर तथा (द) बाकी कार्य को करने के लिए वर्कफ्रंट की उपलब्धता, राइट-ऑफ-वे मुद्दों का समाधान, इत्यादि।
- 6 गड़बड़ी वाले क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर, इत्यादि में कंपनी के कार्मिकों तथा पारिषण तंत्र उपकरणों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार/ विद्युत मंत्रालय निगम की सहायता करेंगे।

एमओएसपीआई द्वारा निरीक्षित, 10 परियोजनाओं की सूची जिनका कि 2014-15 में पूरा किया जाना अपेक्षित है

1. रिहन्द - III व विन्धयांचल-IV से सम्बन्धित पारेषण प्रणाली
2. ओदिशा फेस - I में उत्पादन परियोजनाओं से सम्बन्धित पारेषण प्रणाली (भाग ए)
3. ओदिशा फेस - I में उत्पादन परियोजनाओं से सम्बन्धित पारेषण प्रणाली (भाग सी)
4. उत्तरी क्षेत्र सिस्टम स्ट्रेंथनिंग योजना - XV
5. सासन व मुन्द्रा यूएमपीपी के लिये उत्तरी क्षेत्र में सिस्टम स्ट्रेंथनिंग
6. उत्तरी क्षेत्र सिस्टम स्ट्रेंथनिंग योजना - XXI
7. दक्षिणी क्षेत्र सिस्टम स्ट्रेंथनिंग योजना - XII
8. मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में आईपीपी उत्पादन परियोजनाओं से सम्बन्धित पारेषण प्रणाली
9. एम बी पावर की कनेक्टिविटी के लिये पारेषण प्रणाली
10. डी.वीसी. व मैथोन राइट बैंक परियोजना से सम्बन्धित सप्लिमेंटरी पारेषण प्रणाली